भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं:. 1413

उत्तर देने की तारीख :28.07.2026

छात्रवृत्ति प्रक्रिया का सरलीकरण

1413. श्री ई. तुकाराम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है या उन्हें इसका लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति कोष के जारी होने में विलंब, भुगतान की विफलता और अन्य समस्याओं, जिससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं, के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाने, धनराशि का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में सुधार करने, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और आय सीमा में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्रों को इसका लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त उपायों को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से 'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति' नामक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन निर्दिष्ट ऑनलाइन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, अपने स्तर पर उपयुक्त तंत्र के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने, आगे की प्रक्रिया, सत्यापन और अन्य कार्यान्वयन पहलुओं के लिए प्रमुख तौर-तरीके निर्धारित करते हैं। छात्रवृत्ति की राशि के केंद्रीय हिस्से का भुगतान पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने हिस्से का भुगतान करे और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के भुगतान से संबंधित अंतिम रूप से सत्यापित डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर प्रस्तुत करे।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत वर्ष 2021-22 में की गई थी। इससे निधि का प्रवाह अधिक सरल एवं त्वरित हुआ है तथा लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित करना, दोहराव को रोकना और निधि के दुरुपयोग में कमी सुनिश्चित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। आधार समर्थित बैंक भुगतानों से प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हुई हैं और छात्रवृत्ति के भुगतान में होने वाली देरी कम हुई है।

देश भर में इस योजना के प्रति व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने कई कदम उठाए हैं; जैसे कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। इसके अलावा, विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हितधारकों और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ इस योजना की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ): योजनाओं की समीक्षा और संशोधन सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।
